न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 01/2021

पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. घीसाराम
2. रतिराम
3. हरिराम पुत्रान श्री रघुनाथ जाति बावरिया निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली

प्रार्थीगण............

1. मै0 पर्लमाल्ट प्रा0 लि0 रजि0 ऑफिस फ्लेट नं0 301 नवसंसद विहार cg II sलि0प्लाट नं0 4 सैक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली जरिये शरद भाटिया पुत्र आर.के. भाटिया जाति भाटिया नई दिल्ली

अप्रार्थी गण...........

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक–03.08.2022

पत्रावली पेश हुई ।

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटपूतली द्वारा प्रेषित पत्रांकः जनसुनवाई/2021/1200 दिनांक 6.7.2021बाबत प्रार्थना पत्र द्वारा घासीराम, रतिराम, हरिराम पुत्रान रघुनाथ जाति बावरिया निवासी मलपुरा अनुसूचित जाति की भूमि खसरा नंबर 47/0.03 मोजा मलपुरा पर कब्जा करने के संबन्ध में प्राप्त होने पर पटवारी हल्का मलपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी 1 लगायत 3 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा 47/0.03 है0 गै0मु0 चाह दर्ज रिकार्ड है। जिनकी जाति बावरिया है जाति अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनकी खातेदारी को अप्रार्थी ने चार दिवारी लगाकर अतिक्रमण कर लिया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। सूचनापरान्त अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता सुबेसिंह मोरोड़िया उपस्थित आये । बार– बार अवसर दिये जाने के

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से कोई जबाब , दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके आधार पर अप्रार्थी को अनुतोष दिया जा सके।अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने पटवारी हल्का मलपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटपूतली द्वारा प्रेषित पत्रांकः जनसुनवाई / 2021 / 1200 दिनांक 6.7.2021बाबत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम मलपुरा के खसरा नंबर 47 / 0.03है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का काबिज होना अवगत करवाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य हैं उसमें अन्य व्यक्तियों का कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता यदि किसी का अधिकार का दावा भी किया जाता है तो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है।अप्रार्थी का अवैध अतिकमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत स्वींकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 47 / 0.03है0 वाके ग्राम मलपुरा पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 47 / 0.03है0 वाके ग्राम मलपुरा से अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशि 7.12 रू का पचास गुणा 6.0रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.8.2022को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)